

कोर्ट नोटिस प्रकाशनार्थ

समाहरणालय, भागलपुर।
न्यायालय समाहर्ता, भागलपुर।

अति अल्पकालीन सूचना प्रेस-विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति सं०- DB No-1537/न्या०/विधि

दिनांक-07.12.2020

चूं वजरिये इस कोर्ट नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 56 (घ) के अन्तर्गत अवैध रूप से देशी/विदेशी शराब का परिवहन करने के आरोप में निम्नलिखित वाहन भिन्न-भिन्न थाना काण्डों में जप्त कर अधिहरण प्रस्ताव वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर/पुलिस अधीक्षक, नवगछिया/उत्पाद अधीक्षक, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त होने के फलस्वरूप विविध उत्पाद अधिहरण वाद प्रारंभ किया गया है। नोटिस किये जाने के बावजूद इन वाहनों के लिए कोई दावेदारी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उक्त जप्त वाहन अधिहरण योग्य है। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

उत्पाद वाद सं०	थाना का नाम व काण्ड सं०	जप्त वाहन का प्रकार	जप्त वाहन का रजिस्ट्रेशन नं०	गाड़ी मालिक का नाम व पता	सुनवाई की तिथि
1	2	3	4	5	6
388/19-20	सन्हीला 155/19	मोटरसाईकिल	BR10F-3443	नामालूम	06.01.2021
312/19-20	नवगछिया 96/16	इन्डिका कार	DL05Q-0111	नामालूम	06.01.2021
219/17-18	कोतवाली (बराही) 450/17	अपाची मोटरसाईकिल	चेचिस नं०-MD634BE42H2CO 8272 एवं इंजन नं०-BE4CH2009126	नामालूम	25.01.2021
100/16-17	लोदीपुर 82/16	मोटरसाईकिल	BR10F-5835	नामालूम	25.01.2021
225/19-20	उत्पाद अभियोग सं०-153/19	मोटरसाईकिल	BR08F-8242	चंदन कुमार, पे०-स्व० अर्जुन यादव, सा०-हाजीसुजान, थाना-कोतवाली, जिला-भागलपुर	25.01.2021
101/17-18	ईशाकचक 40/17	ग्लैमर मोटरसाईकिल	BR10H-1784	रमेश कुमार, पे०-शांति साह, सा०-एम०टी०एन० सिंह रोड, चम्पानगर, थाना-नाथनगर, जिला-भागलपुर	22.01.2021
247/19-20	अमडंडा 113/19	कार	HR51V-0594	मनोहर मंडल, पे०-सहीदर मंडल, सा०- H.No-56, Gali O-4, Roshan Nagar, Haryana	22.01.2021
332/19-20	उत्पाद अभियोग सं०-252/19	Tata Ace पिकअप भान	इंजन नं०-FPY983775, चेचिस नं०- AT535051K ZF35267	नामालूम	22.01.2021
252/19-20	सन्हीला 107/19	मोटरसाईकिल	JH17H-7730	उपेन्द्र कुमार मंडल, पे०-धीरेन्द्र मंडल, सा०-सावेजोड़ा, थाना-मुफसिल, जिला-गोड्डा	22.01.2021
101/19-20	बिहपुर (भवानीपुर) 296/18	यमाहा मोटरसाईकिल	इंजन नं०-E3PIE00 43163 एवं चेचिस नं०-ME1RC1229F0020 257	नामालूम	22.01.2021

233/18-19	उत्पाद अभियोग सं०-129/18	स्कूटी	JH18G-3887	अनिता देवी, पे०-कटिमान रिक्वियासन, सा०-मिर्जाचौकी महादेव बरन, थाना-मिर्जाचौकी, जिला-झारखंड	06.01.2021
99/17-18	कोतवाली (तिलकामांझी) 201/17	स्कॉर्पियो	DL6CG-9282	नन्दन चौधरी (मालिक), पे०-नारायण चौधरी, सा०-मडवा, थाना-बिहपुर, जिला-भागलपुर	06.01.2021
232/18-19	उत्पाद अभियोग सं०-159/18	टाटा इंडियागो	WB12A-8001	M/s Ganges Garden Relators Pvt] 106, Kiran Chandra Sinha Road[3 rd Floor, Block GB/2, Howrah	06.01.2021
170/16-17	एन०टी०पी०सी ००४/१७	स्पेलन्डर प्लस मोटरसाईकिल	UP16-9580	प्रवीण सक्सेना, पे०-भीम सेन सक्सेना, सा०-सदरपुर कॉलोनी, सेक्टर-45 नोएडा, गौतमबुद्धनगर	06.01.2021

अतः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कॉलम चार (4) में अंकित जब्त वाहन/वाहनों में से कॉलम पाँच (5) में अंकित वाहन स्वामी अथवा अन्य किसी व्यक्ति/संस्था का हित निहित हो तो उक्त वर्णित निर्धारित तिथि को स्वयं या वकालतन समाहर्ता न्यायालय, भागलपुर में उपस्थित होकर अपने-अपने वाहन के मालिकाना हक से संबंधित दावा पक्ष व कागजात प्रस्तुत करें। अन्यथा अनुपस्थित होने की स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त गाड़ी से आपको कोई सरोकार नहीं है। तत्पश्चात् उक्त जप्त वाहन को सुनवाई उपरान्त बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58 (2) के अन्तर्गत राज्यहित में अधिहरण कर लिया जायेगा।

इसे सख्त ताकीद समझे।

समाहर्ता,
भागलपुर।

16/12/20